प्रादेशिक पर्यटन विकास योजना तयार करणे व योजनेची अंमलबजावणी प्रभावीपणे करणेबाबत. तसेच कोकण पॅकेज विदर्भ पॅकेज व खानदेश पॅकेज अंतर्गत स्विय प्रपंजी लेखा (Personal Ledger Account ) मध्ये असलेला निधी इतरत्र वर्ग करण्याबाबत.

महाराष्ट्र शासन
गृह (पर्यटन) विभाग,
शासन निर्णय क्रमांक -एमटीसी २००४/८/प्रक्र.३८१/पर्यटन,
मंत्रालय, मुंबई- ४०० ०३२ दिनांक - ३१ मार्च, २००५.

**वाचा:-** १) शासन निर्णय क्रमांक -एमटीसी २००४/८/प्रक्र.३८१/पर्यटन, दिनांक २५.१.२००५ चे दोन शासन निर्णय.
२) शासन शुध्दीपत्रक क्रमांक- एमटीसी २००४/प्र.क्र.३८१/पर्यटन, दिनांक १.३.२००५.

**प्रस्तावना** :- उपरोक्त शासन निर्णयान्वये प्रादेशिक पर्यटन विकास योजना, कोकण पॅकेज, विदर्भ पॅकेज, खानदेश पॅकेज व इतर अंतर्गत प्रधान शिर्ष " ३४५२- पर्यटन मागणी क्रमांक बी-७ (१) ०१-पर्यटनासाठी पायाभूत सुविधा १०१ पर्यटन केंद्रे (०२) पंचवार्षिक योजनांतर्गत योजना - राज्य योजनांतर्गत योजना - (०२)(१८) पर्यटन विकासासाठी विविध ठिकाणी मुलभूत सुविधाकरीता अनुदान (३४५२ - १७७१ ) आणि (२) पर्यटन विकासासाठी -०१-पर्यटनासाठी पायाभूत सुविधा-१०१-पर्यटन केंद्रे (०२) पंचवार्षिक योजनांतर्गत योजना- राज्य योजनांतर्गत योजना-(०२)(१९) पर्यटन विकासासाठी " अ ब क " श्रेणीमध्ये वर्गीकृत केलेली ठिकाणे (३४५२ १७८९)" खाली संबंधित जिल्हाधिका-यांना खालील तक्त्यात नमूद केल्याप्रमाणे योजना निहाय वितरीत करण्यात आलेला निधी स्विय प्रपंजी लेखामध्ये जमा करण्यास मान्यता देण्यात आली होती.

रुपये लाखात

| अ क्र. | जिल्हयाचें नाव | प्रादेशिक पर्यटन विकास योजना | औंध पर्यटन क्षेत्र | कन्यागत महापर्व काळ | दिवे आगार ---------- हरिहरेश्वर | कोकण पकेज | विदर्भ पॅकेज | खानदेश पॅकेज | एकूण |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| १ | ठाणे | ४२.३६ | - | - | - | ५६.०० | - | - | ९८.३६ |
| २ | रायगड | ११२.९६ | - | - | ८००.०० | ८४१.४३ | - | - | १८३४.३९ |
| ३ | रत्नागिरी | ७.९५ | - | - | - | ६२१.८४ | - | - | ६२९.७९ |
| ४ | सिंधुदूर्ग | ७.०० | - | - | - | १५५१.४६ | - | - | १५५८.४६ |
| ५ | पुणे | ५६९.८५ | - | - | - | - | - | - | ५६९.८५ |
| ६ | सातारा | २१९.०० | १००.००. | - | - | - | - | - | ३१९.०० |
| ७ | सांगली | २००.०० | - | - | - | - | - | - | २००.०० |
| ८ | अहमदनगर | २५.०५ | - | - | - | - | - | - | २५.०५ |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ९ | कोल्हापूर | - | - | ७५.०० | - | - | - | - | ७५.०० |
| १० | नाशिक | ७५.०० | - | - | - | - | - | - | ७५.०० |
| ११ | जळगांव | ७५.०० | - | - | - | - | - | ६५.४७ | १४०.४७ |
| १२ | नंदुरबार | | - | - | - | - | - | १२५.६७ | १२५.६७ |
| १३ | धुळे | | - | - | - | - | - | ११.१६ | ११.१६ |
| १४ | औरंगाबाद | ४०.०० | - | - | - | - | - | - | ४०.०० |
| १५ | जालना | ६०.०० | - | - | - | - | - | - | ६०.०० |
| १६ | उस्मनाबाद | ६७.०० | - | - | - | - | - | - | ६७.०० |
| १७ | बीड | ५०.८९ | - | - | - | - | - | - | ५०.८९ |
| १८ | नांदेड | ५०.०० | - | - | - | - | - | - | ५०.०० |
| १९ | नागपूर | ९०.०० | - | - | - | - | - | - | ९०.०० |
| २० | भंडारा | ५०.०० | - | - | - | - | - | - | ५०.०० |
| २१ | वाशिम | ५०.०० | - | -- | -- | - | १४.९० | - | ६४.९० |
| २२ | वर्धा | १८०.०० | - | - | - | - | - | - | १८०.०० |
| २३ | चंद्रपूर | ७०.०० | - | - | - | - | - | - | ७०.०० |
| २४ | अमरावती | १२५.०० | - | - | - | - | - | - | १२५.०० |
| २५ | बुलढाणा | ७५.०० | - | - | - | - | - | - | ७५.०० |
| २६ | हिंगोली | ६७.३२ | - | - | - | - | - | - | ६७.३२ |

तसेच तिर्थक्षेत्र व पर्यटन स्थळासाठी खाली नमूद करण्यात आलेला निधी सुध्दा स्विय प्रपंजी लेखा उघडून त्यात जमा करण्याच्या सुचना देण्यात आल्या होत्या.

रुपये लाखांत

| अ.क्र. | विभाग | जिल्हयाचे नांव | तिथक्षेत्रे / पर्यटन स्थळे | एकूण |
|---|---|---|---|---|
| १ | पुणे | पुणे | २०.००. | २०.००. |
| | | सोलापूर | १०.००. | १०.००. |
| २ | औरंगाबाद | बीड | ५५.००. | ५५.००. |
| ३ | अमरावती | अकोला | १५.००. | १५.००. |
| | | एकूण | १००.००. | १००.००. |

२. सन २००४-२००५ या आर्थिक वर्षात वर नमूद केल्याप्रमाणे वितरीत केलेला व त्यानंतर स्विय प्रपंजी लेख्यामध्ये जमा करण्यास परवानगी दिलेल्या निधीपैकी काही निधी संबंधीत अंमलबजावणी यंत्रणेला यापूर्वीच वितरीत करण्यात आला आहे. तसेच या अंतर्गत मंजूर करण्यात आलेली कामे प्रगतीपथावर आहेत.

स्विय प्रपंजी लेखा उघडण्यास मान्यता देतांना महालेखापाल यांनी "संबंधीत जिल्हाधिकारी यांना कळविण्यात येते की, सदर रक्कम लेखा परिक्षणाच्या अधिन राहून प्रत्येक वर्षी ३१ मार्च रोजी अशा स्विय प्रपंजी लेख्यातील शेष रक्कम वजाली खर्च ३४५२-पर्यटन लेख्यात वर्ग करुन सदरहू स्विय प्रपंजी

लेखा निरंक रक्कमेला बंद करावा. याबबतची कार्यवाही महालेखाकाराकडून खालेबदल पध्दतीने केली जाईल अशा प्रकारची अट घातली आहे. परंतू स्विय प्रपंजी लेखा उघडण्यास परवानगी दिल्यापासून ३१ मार्च, २००५ पर्यतच्य कालावधीत अत्यंत कमी असल्यामुळे ३४५२-पर्यटन शिर्षाखाली स्विय प्रपंजी लेखा खाली शिल्लक असलेली तरतूद आर्थिक वर्षात खर्च होणे कठीण आहे. दि.३१.३.२००५ पर्यत सदर रक्कम खर्च न झाल्यास तर ती तरतूद व्यपगत होणार होती. या संदर्भात स्विय प्रपंजी लेख्यामध्ये जमा केलेली रक्कम खर्च करण्याची आवश्यकता विचारात घेवून ती कोणत्या विभागाकडे वर्ग करावी याबाबतचा प्रस्ताव शासनाच्या विचाराधीन होता.

**शासन निर्णय :-** १) शासन निर्णय क्रमांक -एमटीसी २००४/८/प्रक्र.३८१/पर्यटन, दिनांक २५.१.२००५ चे दोन शासन निर्णय व (२) शासन शुध्दीपत्रक क्रमांक- एमटीसी २००४/प्र.क्र.३८१/पर्यटन, दिनांक १.३.२००५ अन्वये स्विय प्रपंजी लेखा उघडून त्यात जमा करण्यास परवानगी दिलेली वरील तक्त्यात नमूद केलेल्या रक्कमेपैकी यापूर्वीच अंमलबजावणी यंत्रणेला वितरीत करुन खर्च झाली असेल अशी रक्कम, तसेच अंमलबजवणी यंत्रणेकडे सुपूर्त करण्यात आली आहे. परंतू काही कारणामूळेअद्यापही खर्च न झालेली रक्कम वगळून शिल्लक राहिलेली रक्कम खालीलप्रमाणे वर्ग करण्यास एक विशेष बाब म्हणून शासन मंजूरी देत आहे.

२. १) सांगली वगळता उर्वरित जिल्हयातील वितरीत केलेल्या निधीपैकी यापूर्वीच अंमलबजावणी यंत्रणेला वितरीत करुन खर्च झाली असेल अशी रक्कम, तसेच अंमलबजवणी यंत्रणेकडे सुपूर्त करण्यात आली आहे. परंतू काही कारणामूळे अद्यापही खर्च न झालेली रक्कम वगळून शिल्लक राहिलेली रक्कम **सबधित जिल्हापरिषदेकडे** वर्ग करण्यात यावी. त्यानी सदर रक्कम नंतर अंमलबजावणी यंत्रनेकडे सुपूर्द करावी. सांगली जिल्हातील निधिबदल स्वंतत्रपने आदेश काढण्यात येत आहेत.

३ अशा प्रकारे वर्ग केलेल्या रक्कमेमधून मंजूर केलेली कामे पुढे सन २००५-२००६ मध्ये सुरु ठेवावी.

४. प्रादेशिक पर्यटन विकास योजना, कोकण विकास पॅकेज, विदर्भ विकास पॅकेज, खानदेश विकास पॅकेज व इतर या अंतर्गत पर्यटन स्थळाच्या विकासासाठी त्या त्या ठिकाणी मंजूर केलेल्या कामासाठीच खर्च होईल, याची दक्षता घेण्याल यावी.

५. उपरोक्त शासन निर्णय वित्त विभागाच्या अनोपचारीक संदर्भ क्रमांक ७६/२००५/कोषा-प्र-५, दिनांक २३.३.२००५ च्या सहमतीने निर्गमित करण्यात येत आहे.

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने,

( र. य. नलावडे )
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन, गृह विभाग.

प्रति, महालेखापाल, महाराष्ट्र-१, (लेखा परिक्षा/लेखा व अनुज्ञेयता), मुंबई,

D:-PLA-CR-381-GR-State-20-1-11

महालेखापाल, महाराष्ट्र-२, (लेखा परिक्षा/लेखा व अनुज्ञेयता), नागपूर
विभागीय आयुक्त, नागपूर, अमरावती, औरंगाबाद, नाशिक, पुणे, कोकण
जिल्हाधिकारी- नागपूर, भंडारा, वर्धा, चंद्रपूर, अमरावती, बुलढाणा, वाशिम, जालना, हिंगोली, उस्मानाबाद, नांदेड, औरंगाबाद, बीड, नाशिक, पुणे, कोल्हापूर, सांगली, सातारा, ठाणे, रायगड, सिंधुदुर्ग व रत्नागिरी,अहमदनगर, जळगांव, नंदुरबार, धुळे.
जिल्हा नियोजन अधिकारी- जिल्हाधिकारी कार्यालय, नागपूर, भंडारा, वर्धा, चंद्रपूर, अमरावती, बुलढाणा, वाशिम, जालना, हिंगोली, उस्मानाबाद, नांदेड, औरंगाबाद, बीड, नाशिक, पुणे, कोल्हापूर, सांगली, सातारा, ठाणे, रायगड, सिंधुदुर्ग व रत्नागिरी, अहमदनगर, जळगांव, नंदुरबार, धुळे
जिल्हा कोषागार अधिकारी- नागपूर, भंडारा, वर्धा, चंद्रपूर, अमरावती, बुलढाणा, वाशिम, जालना, हिंगोली, उस्मानाबाद, नांदेड, औरंगाबाद, बीड, नाशिक, पुणे, कोल्हापूर, सांगली, सातारा, ठाणे, रायगड, सिंधुदुर्ग व रत्नागिरी ,,अहमदनगर, जळगांव, नंदुरबार, धुळे
संबंधित जिल्ह्यातील अंमलबजावणी अधिकारी,
नियोजन विभाग (का.१४१२) मंत्रालय, मुंबई,
वित्त विभाग (का. व्यय-८/अर्थोपाय)मंत्रालय, मुंबई,
निवड नस्ती, कार्यासन-पर्यटन.

प्रत माहितीसाठी सादर.
मा. मंत्री (वित्त ) यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई,
मा. मंत्री ( पर्यटन) यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई,
मा.राज्यमंत्री (पर्यटन) यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई,
प्रधान सचिव (पर्यटन) यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई.